भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3219
18 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

नई खाद्य-प्रसंस्करण इकाइयां

3219. श्रीमती मालविका देवीः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मियाद अवधि खत्म हो चुके खाद्य पदार्थों की सख्त निगरानी, पहचान और निपटान सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हाँ, तो ऐसे उत्पादों के पुनःप्रसंस्करण, पुनःपैकेजिंग और बाजार में इन्हें फिर से लाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इस संबंध में किसी प्रवर्तन तंत्र या की गई जांच का ब्यौरा क्या है,

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष में देश में कितनी नई खाद्य-प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गईं;

(ग) क्या सरकार का ओडिशा, विशेषकर कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों में नए खाद्य-प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) खाद्य-प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए वर्तमान में उपलब्ध सब्सिडी, प्रोत्साहन या सहायता योजनाएँ क्या हैं; और

(ङ) क्या कालाहांडी और नुआपाड़ा जैसे आकांक्षी जिलों के उद्यमियों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी या योजनाएँ उपलब्ध हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार एफएसएसएआई को खाद्य सामग्रियों और उनके विनिर्माण , भंडारण , वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने हेतु विज्ञान आधारित मानदंड निर्धारित करने के लिए अधिदेशित किया गया है ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

एफएसएसएआई ने दिनांक 03.11.2025 को एक परामर्शिका जारी की है, जिसमें अधिनियम की धारा 38(4) और 47(4) के अंतर्गत दिनांक 21.12.2020 को जारी पूर्व दिशानिर्देशों के अनुसार , ज़ब्त, अस्वीकृत और एक्सपायर हो चुके खाद्य सामग्रियों के निपटान हेतु पर्यावरण के लिए सही तरीकों का सख्ती से पालन करने पर ज़ोर दिया गया है। परामर्शिका में प्रवर्तन प्राधिकारी को स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर केवल स्वीकृत निपटान तरीकों को अपनाने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, एफएसएसएआई अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा विभागों के ज़रिए, सभी खाद्य उत्पादों के सभी खाद्य व्यवसाय ओपरेटरों का नियमित निरीक्षण और लेखा परीक्षा करता है, ताकि एफएसएस अधिनियम, वर्ष 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत तय मानदंडों और कानूनी ज़रूरतों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

(ख) और (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से संबंधित उद्योगों

की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है । ये योजनाएँ किसी इलाके या राज्य के हिसाब से नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं और उड़िसा के कालाहांडी और नुआपाड़ा ज़िलों समेत पूरे देश में लागू की जा रही हैं ।

पीएमकेएसवाई योजना के अंतर्गत, पिछले वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान देश में मदद के लिए 8 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है , जिनमें से 2 परियोजनाएं उड़िसा राज्य में हैं।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, पिछले वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान देश में 45713 नई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मदद के लिए मंज़ूरी दी गई है , जिसमें से उड़िसा राज्य में 484 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंज़ूरी दी गई है, जिसमें कालाहांडी में 3 और नुआपाड़ा में 3 शामिल हैं।

(घ) और (ङ): एमओएफपीआई की इन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले प्रोत्साहन का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। एमओएफपीआई, ओडिशा के कालाहांडी और नुआपाड़ा जैसे आकांक्षी जिलों सहित पूरे देश में योजना दिशानिर्देश के अनुसार पत्र संस्थाओं को सब्सिडी/प्रोत्साहन प्रदान करती है । पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, दुर्गम क्षेत्रों के लिए, पत्र परियोजना लागत के 50% की दर से सब्सिडी दी जाती है , जबकि सामान्य क्षेत्रों में यह 35% है।

*****

अनुबंध

दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तर हेतु"नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3219 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मिलने वाला प्रोत्साहन</u>

क्र. सं.	**घटक योजना**	**सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना लाभ (अनुदान सहायता)**	**दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अ.जा./ अ.ज.जा, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह की परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ (अनुदान सहायता)**
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अध्यधीन]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अध्यधीन]
2.	खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये के अध्यधीन]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये के अध्यधीन]
3.	कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अध्यधीन]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अध्यधीन]
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता, जो प्रति परियोजना के लिए अधिकतम अनुदान सहायता ₹15 करोड़ होगी; और स्टैंडअलोन फ़सलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, प्रति परियोजना के लिए अधिकतम अनुदान सहायता ₹10 करोड़ होगी	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता, जो प्रति परियोजना के लिए अधिकतम अनुदान सहायता ₹15 करोड़ होगी; और स्टैंडअलोन फ़सलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, प्रति परियोजना के लिए अधिकतम अनुदान सहायता ₹10 करोड़ होगी
5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला	निजी संगठन /एंसंस्था के लिए: पत्र परियोजना लागतके 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये के अध्यधीन]	निजी संगठन /संस्थाओं के लिए: पत्र परियोजना लागत का 70% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये के अध्यधीन]
6.	मानव संसाधन एवं संस्थान-अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों के 100% की दर से अनुदान, निजी संगठनों /विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए, उपकरण की लागत के 50% की दर से अनुदान।	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों के 100% की दर से अनुदान, निजी संगठनों /विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए, उपकरण की लागत के 70% की दर से अनुदान।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस-एफपीआई) के अंतर्गत प्रोत्साहन संरचना

श्रेणी/खंड	खंड	प्रोत्साहन संवितरण मानदंड (%)		ऊपरी सीमा (% और राशि करोड़ में)	प्रोत्साहन की दर (%)					
		न्यूनतम सीएजीआर	अधिकतम सीएजीआर		वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27
श्रेणी 1										
आरटीई/ आरटीसी	बिस्कुट	10%	13%	8% रु.334.48	5%	5%	5%	5%	4.5%	4%
	गैर-बिस्कुट				7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	6.75%	6%
एफ एंड वी	मसाले	10%	12%	8% 286.56 रुपये	5%	5%	5%	5%	4.5%	4%
	गैर-मसाले		15%		10%	10%	10%	10%	9%	8%
समुद्री	समुद्री उत्पाद	5%	10%	8% 79.44 रुपये	6%	6%	6%	6%	5%	4%
	मूल्य वर्धित उत्पाद				10%	10%	10%	10%	10%	10%
मोत्ज़रेला चीज़		15%	16%	25% 70.75 रुपये	10%	10%	10%	8%	6%	4%
मिलेट उत्पाद	बड़ी इकाई	10%	-	100 रुपए	-	10%	10%	10%	9%	8%
	एमएसएमई	10%	-	10.54 रुपये						
श्रेणी . 2	जैविक उत्पाद	10%	-		10%	10%	10%	10%	9%	8%
	नवीन उत्पाद	10%	-		10%	10%	10%	10%	9%	8%
श्रेणी 3	ब्रांडिंग और विपणन (बी एंड एम)	भारत में पूर्ण रूप से बने खाद्य उत्पादों को बेचने के लिए केवल भारतीय ब्राण्डों को कवर किया गया है ।		कुल व्यय का 50%	-	विदेश में बी एंड एम पर व्यय के 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन , जिसमें खाद्य उत्पादों की की बिक्री का अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, का अनुदान।				

सीएजीआर- चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम को मिलने वाली सहायता का विवरण

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी के सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से ऋण-से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii). *प्रारम्भिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूह को सहायता :* खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूह के हर सदस्य को कार्यशील पूंजी और छोटे औज़ार खरीदने के लिए 40,000/- रुपये की दर से प्रारम्भिक पूंजी जो , हर स्वयं सहायता समूह संघ के लिए ज़्यादा से अधिकतम 4 लाख रुपये के अध्यधीन है। ।

(iii). *साझा अवसंरचना के लिए सहायता* :किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को साझा अवसंरचना बनाने में मदद करने के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, जो अधिकतम. 3 करोड़ रुपये के अध्यधीन होगी। साझा अवसंरचना दूसरी इकाइयों और आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के बड़े हिस्से के लिए हायरिंग बेसिस पर इस्तेमाल कर सकें।

(iv) ब्रांडिंग *और विपणन सहायता:* किसान उत्पादक संगठन/स्वयं सहायता समूह/सहकारी समिति समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान।

(v) क्षमता निर्माण*:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण देने की योजना है: यह कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए संशोधित किया गया है।